

क्रमांक-2866/15-1-16/1747/1724

Recd on 11/12/15
Copy of the
(M.S.)

शुभम्

श्री अशोक सांगुबी,
उप सचिव,
उच्च शिक्षण विभाग ।

हेतु है

संज्ञित
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
भारत केन्द्र 2 तम मंजूर है
प्रतिमा विवर नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुभाग

समाप्त दिनांक: 29 अगस्त, 1995

विषय:- श्री अशोक सांगुबी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रश्नों पर दिखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विवरण पर हुए यज्ञ करने का निर्देश हुआ है कि अशोक सांगुबी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रश्नों के सम्बन्ध में प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आयातित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोताघड़ी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रधान समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम एक प्रतिष्ठित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रहेगी और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यार्थियों में विशेष स्थानों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से / केन्द्रिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय में संयुक्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रिक पर दि ईडियन स्कूल सर्टिफिकेट इकाई/केन्द्रिक नई दिल्ली से प्राप्ता होती है तो इस परीक्षा परिषदों से सम्बन्ध प्राप्त होने की स्थिति में परिषद से अनुदान से राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

151 संस्था केन्द्रिक एवं केन्द्रिक परीक्षाओं को राज्य सरकार द्वारा प्राप्त विद्यार्थियों के परीक्षाओं को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखे जायेगी ।

161 परीक्षाओं की सेवा नहीं करायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परीक्षाओं की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राप्ता कराये जायेगी ।

Manager,
Mohan Lal Sah
Bal Vidya Mandir
NAINITAL

Principal

[Signature]

174. प्रो. 1954 तक कर कुनीरा समग्र समय पर जो का आदेश निर्गत किये
गिरी, श्रद्धा उक्तक वाचन करेगी ।

175. विद्यार्थ का रिजार्ड निर्धारित प्रान्त/राज्यों में एवा जायेगा

176. उक्त शर्तों में राजा सरकार के पत्र सुनोदन के बिना कोई परि-
वर्तन/सुनोदन या परिवर्तन नहीं दिया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्बन्धित विद्ये वाले के पूर्व यह सुनिश्चित
किया जाय कि -

177. विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक/अध्यापिकाओं में प्रमाणित तथा
सई है ।

178. कार्यरत अध्यापक/राज्यों जो मानकानुसंग नियमित वेतन बैंक के
भाष्यन से रिहा जा रहा है ।

179. विद्यालय में कार्यरत स्थायी/अस्थायी की सेवा नियमावली सी.पी.सी.
का 10 नई दिवसों की पूर्ण नियमावली के अनुसंग सई गयी है ।

180. पंजीकरण तथा कक्षाओं के विभिन्न स्ट में कोई सुन्दर नहीं किया
जा रहा है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का मानक करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और
यदि किसी समय यह पता जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन
नहीं किया जा रहा है उक्त मानक करने में किसी प्रकार की धूल या शिथिलता
बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उक्त अध्यापित प्रमाण पर कार्यसूची
किया जायेगा ।

भयभीत,

अज्ञान गार्गो
उप-निर्देशक

मुद्रांक 111/15-7-1995 तद्विनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुवार्ध एवं सम्बन्धित कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, भयनक ।
- 2- भयभीत एवं शिक्षा निदेशक कुतबु गढ़म मैनीताल ।
- 3- शिक्षा निदेशक मिरीपड मैनीताल ।
- 4- मिरीपड, जिला, भारतीय विद्यालय उद्योग भयनक ।
- 5- प्रबन्धक, जिला कला शाह बाग विद्यालय मिरीपड मैनीताल ।

147